क्रम संख्या–132

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, सोमवार, 27 अगस्त, 2007 ई0

भाद्रपद 05, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

सहकारिता विभाग

संख्या 606/XIV–1/2007

देहरादून, 27 अगस्त, 2007

अधिसूचना

विविध

सा0प0नि0–04

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तरांचल सहकारिता विभाग तृतीय वर्ग अधीनस्थ सेवा, नियमावली, 2003 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड (सहकारिता विभाग) तृतीय वर्ग अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियमावली, 2007

भाग एक–सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड (सहकारिता विभाग) तृतीय वर्ग अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियमावली, 2007" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) उत्तरांचल सहकारिता विभाग तृतीय वर्ग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2003 में जहाँ–जहाँ शब्द "उत्तरांचल" आया है वहाँ–वहाँ शब्द उत्तराखण्ड पढ़ा जायेगा।

2. नियम 15 का संशोधन: नियम 15 के उपनियम (3), (4), (5) एवं (6) का प्रतिस्थापन:

उत्तरांचल सहकारिता विभाग तृतीय वर्ग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2003, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 15 के उपनियम (3), (4), (5) एवं (6) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम/उपनियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम/उपनियम)
15.	15.
(3) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों और मूल्यांकन के परिणाम को सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् चयन समिति नियम 6 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी। साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुनी होगी।	(3) चयन समिति, नियम 6 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, सेवा में भर्ती हेतु एक लिखित परीक्षा आयोजित करेगी। (क) लिखित परीक्षा 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर हेतु ¼ ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। (ख) छंटनीशुदा कर्मचारियों को सेवा में प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के लिये 05 अंक व अधिकतम 15 अंक दिये जायेंगे। प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी। छंटनीशुदा कर्मचारी का तात्पर्य उस व्यक्ति से है– (एक) जिसने राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी रूप में, मौलिक रूप में कम से कम एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये निरन्तर सेवा की हो; (दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अभिमुक्त किया गया हो या किया जा सकता है; और (तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनीशुदा कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, किन्तु, इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं होगा। (ग) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(4) किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये कुल अंक चयन समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों द्वारा पृथक–पृथक रूप से दिये गये अंकों की औसत की गणना करके अवधारित किये जायेंगे।

(5) प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों से जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी।

पाठ्य विवरण–

(6) प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रम और नियम ऐसे होंगे जो सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किये जांय।

(घ) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(4) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड राज्य की आधिकारिक वैबसाईट तथा दैनिक समाचार–पत्रों में, जिसका व्यापक परिचालन हो, पर प्रकाशित किया जायेगा।

(5) चयन समिति प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा एवं अन्य मूल्यांकनों के अंकों के कुल योग से, जैसा प्रकट हो, प्रवीणता सूची (अन्तिम चयन सूची) तैयार करेगी। यदि लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।

पाठ्य विवरण–

(6) प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होगा जो इस पद की परीक्षा हेतु निर्धारित विषयों के लिए इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थी से सामान्यतः अपेक्षित हो।

प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित विषय से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे–

(क) सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिन्दी	70
(ख) अंक गणित	30
योग	100

आज्ञा से,

डा0 रणबीर सिंह,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Costitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 606/XIV-1/2007, dated August 27, 2007 for general information :

No. 606/XIV-1/2007
Dated Dehradun, August 27, 2007

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttaranchal Co-operative Department, Group III, Subordinate Service Rules, 2003.

THE UTTARAKHAND (CO-OPERATIVE DEPARTMENT), GROUP III SUBORDINATE SERVICE (AMENDMENT) RULES, 2007

Part I--General

1. Short title and commencement--

(1) These Rules may be called the Uttarakhand (Co-operative Department), Group III, Subordinate Service (amendment) Rules, 2007.
(2) They shall come into force at once.
(3) In Uttaranchal Co-operative Department, Group III Subordinate Service Rules, 2003 wherever the expression "**Uttaranchal**" occours, it shall be read as "**Uttarakhand**".

2. Amendment of Sub-rule (3), (4), (5) and (6) of Rule 15--

In the Uttaranchal Co-operative Department, Group III, Subordinate Service Rules, 2003, hereinafter referred to as said Rules, for the existing Sub-rule (3), (4), (5) and (6) of Rule 15 Rule 5 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely--

Column--1 (Existing Rules)	Column--2 (Rules as hereby substituted)
15.	15.
(3) After the result of the written examination and other evaluations have been received and tabulated, the selection committee shall having regard to the provisions of reservation referred to Rule 6 hold an interview. The number of candidates to be called for interview shall be four times the number of vacancies.	(3) The selection Committee shall, having regard to the provisions of reservation referred to in Rule 6, hold a written examination. (a) The written examination shall be of objective type and of 100 marks. In the evaluation of the question paper one mark shall be awarded for each correct answer and ¼ negative marks shall be deducted for each wrong answer. (b) The retrenched employees shall be awarded 05 marks maximum 15 marks for one complete year in the service. The merit list shall be prepared on the basis of the written examination and other evaluations. Retrenched employee means-- (One) Who had served as an employee in any post as permanent, non-permanent, substantively completed at least one year of

4. The Total marks obtained by a candidate at the interview shall be determined by calculating the average of marks awarded to him by the chairman and all the members of the selection committee separately.

5. The marks obtained by the each candidate at the interview shall be added to the marks obtained in the written examination. The final select list shall be prepared on the basis of aggregate of marks so arrived. If two or more candidates obtain equal marks in aggregate the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the select list. In case two or more candidates obtain equal marks in the written examination also the candidate senior in age shall be placed higher in the select list. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty five percent) than the number of vacancies.

Syllabus–

(6) The syllabus and the rules of the competitive examination shall be as such prescribed by the Government from time to time.

service regularly under the power vested in the Governor;

(Two) Who has been retrenched or to be retrenched for the minimization of staff from the establishment or for the liquidation of it;

(Three) For whom the appointing authority has issued a certificate as retrenched employee.

But no adhoc employee comes under its definition.

(c) The candidate will be allowed to take the Question Booklet alongwith him after the examination.

(d) The Answer Sheet shall be in duplicate alongwith its carbon copy. The candidate will be allowed to take the duplicate copy alongwith him after the examination.

4. After the written examination the Answer Key shall be published in the official website of the State of the Uttarakhand and in daily newspapers, having wide circulation.

5. The Selection Committee shall prepare a list of candidates in order of merit, as disclosed by aggregate of marks, obtained by them in the written test and other evaluations. In case two or more candidates obtain equal marks in the written examination, the candidate senior in age shall be placed higher in the select list. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty five percent) than the number of vacancies.

Syllabus–

(6) The syllabus of the competitive examination for the subjects prescribed shall be such that as expected from an Intermediate passed candidate. The objective questions related to the Subjects in the competitive examination shall be as under–

(a) General Knowledge, General Studies and General Hindi	70 Marks
(b) Arithmatic	30 Marks
Total	100 Marks.

By Order,

Dr. RANBIR SINGH,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 3 सहकारिता गन्ना चीनी / 408–2007–100+100 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

क्रम संख्या–70 (ख)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, सोमवार, 21 मई, 2007 ई0
बैशाख 31, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
सहकारिता विभाग

संख्या 281/XIV–1/2007
देहरादून, 21 मई, 2007

अधिसूचना

प0 आ0–78

उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) सहकारी समिति अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2003) की धारा 3 की उपधारा (2) व (3) (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड को निबन्धक की सहायतार्थ पदेन निबन्धक नियुक्त करने व उत्तराखण्ड राज्य की समस्त जड़ी बूटी सहकारी समितियों एवं सहकारी भेषज संघों के सम्बन्ध में उन्हें निबन्धक की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डा0 रणवीर सिंह,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 2 सह0 गन्ना चीनी/232–2007–100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।